

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 3(92)आयो.1 / सां. / 13

जयपुर, दिनांक: 1


डॉ. बृजलाल मीणा,
मुख्य आयोजना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य आयोजना अधिकारी
जैसलमेर।

विषय :- नाम के आगे डॉ. उपाधि का उपयोग करने बाबत।
संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 25.05.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके संदर्भित पत्र के संबंध में आपके नाम के आगे डॉक्टर उपाधि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय


सहायक शासन सचिव,
आयोजना विभाग

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री मीणा की सेवापुस्तिका में उक्तानुसार इन्द्राज कर विभाग को सूचित करावें।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव